

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/2010

जयपुर, दिनांक

21 APR 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :- संविदा कार्मिकों के मूल्यांकन के संबंध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक पीएस/आरडीएण्डपीआर/2008 दिनांक 01.10.08, विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4(4)ग्रावि/नरेगा/पार्ट-11/06 दिनांक 19.09.09 एवं पत्र क्रमांक एफ 30(53)ग्रावि/नरेगा/10 दिनांक 28.07.10 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न संविदा कार्मिकों के द्वारा वर्ष के दौरान दी गई सेवाओं के मूल्यांकन करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। विभाग के पत्र 01.10.08 में संविदा कार्मिकों समन्वयक आईईसी एवं ग्राम रोजगार सहायक की वर्ष के दौरान दी गई सेवाओं के मूल्यांकन करने हेतु जो अपेक्षित लक्ष्य एवं अंक निर्धारित किये गये थे, उनके अधिकमण में समन्वयक आईईसी एवं ग्राम रोजगार सहायक के लक्ष्य एवं निर्धारित अंक पुनः संशोधित कर आपको संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। ग्राम रोजगार सहायक एवं समन्वयक आईईसी द्वारा जो कार्य किये जाने हैं वे इस वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र में जो गतिविधि अंकित है, उसी के अनुसार संविदा अनुबंध किये जाने होंगे। अन्य कार्मिकों का मूल्यांकन विभाग के पूर्व पत्र 01.10.08 के अनुसार ही होंगे। इन लक्ष्यों के आधार पर उनकी वर्ष की सेवाओं का मूल्यांकन कर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत अनुबंध राशि बढ़ाते समय ध्यान रखते हुये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविदा अनुबंध किया जावे। यदि किसी कार्मिक का कार्य वर्ष के दौरान असंतोषजनक पाया जाता है तो उसे समय-समय पर लिखित में नोटिस देकर सूचित किया जावे कि उसका कार्य किस कारण से संतोषजनक नहीं है तथा कार्य में सुधार की हिदायत भी दी जावे। कार्य में सुधार नहीं होने की स्थिति में कारण दर्शाते हुये पुनः संविदा अनुबंध नहीं करने के स्पष्ट आदेश पारित किये जावे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सी.एस. राजन)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय) महात्मा गांधी नरेगा जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस

ग्राम रोजगार सहायक वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र
(कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रति तिमाही में कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा)

क्र.सं.	गतिविधि (Activity)	अपेक्षित लक्ष्य	अंक
1.	समस्त पंजीकृत परिवारों को फोटोयुक्त जॉबकार्ड जारी करना।	100%	5
2.	रोजगार हेतु मौखिक या लिखित प्रार्थना प्राप्त होने पर प्रपत्र VI में रसीद जारी करना व फार्म VIII में कार्य की सूचना देना।	100%	5
3.	पखवाडा सामाप्ति के दूसरे ही दिन मस्टररोल को माप हेतु कनिष्ठ तकनीकी सहायक को देकर बाद माप पखवाडे के चौथे दिन तक पंचायत समिति में वेज लिस्ट बनाने हेतु भिजवाना सुनिश्चित करना।	100%	5
4.	बैंक/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से समय पर भुगतान करना, मजदूरों को भुगतान स्लिप जारी करना व प्रत्येक जॉब कार्ड में दी गई मजदूरी का मय राशि जमा दिनांक इन्द्राज करना।	100%	10
5.	रिकॉर्ड का संधारण (i) नरेगा के दिशा निर्देशानुसार समस्त रिकार्ड विशेषकर जॉबकार्ड रजिस्टर, ग्रामवार रोजगार रजिस्टर एवं परिसम्पत्तित व सचंयी व्यय रजिस्टर को आदिनांक रखना। (ii) नरेगा अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 16 एवं 17 अनुसार आम व्यक्ति द्वारा चाहे गये रिकॉर्ड की 3 दिवस में प्रतियां देना व रिकॉर्ड का निशुल्क निरीक्षण करवाना। (iii) नरेगा अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 15 अनुसार पंचायत की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना।	100%	15
6.	कार्यों का निरीक्षण (iv) पंचायत क्षेत्र में चल रहे प्रत्येक (लाईन विभागों सहित) कार्य का प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण कर संलग्न प्रपत्र में निरीक्षण रिपोर्ट कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत करना। (v) कार्यस्थल पर मजदूरों हेतु छाया, पानी, दवाईयां एवं पालने की व्यवस्था सुनिश्चित कराना। (vi) कार्यस्थल पर कार्यस्थल पुस्तिका, श्रमिक समूहवार दैनिक मजदूरी कार्य संधारण व टास्क/प्रदर्शन पट्टों का लगाना सुनिश्चित करना। (vii) मट द्वारा संधारित रिकार्ड का सही रख-रखाव सुनिश्चित करना। (viii) कोई भी फर्जी हाजिरी नहीं लगे, इसे मेटो के मार्फत प्रतिदिन सुनिश्चित करना। (ix) मजदूरों को 5-5 के ग्रुप में टास्क निष्पादन व ग्रुप टास्क के आधार पर भुगतान व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराना। (x) गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत कार्यक्रम अधिकारी व ग्राम पंचायत को सूचित करना। (xi) सतर्कता समिति के साथ जाकर सप्ताह में एक बार कार्य का निरीक्षण कराना। (xii) कार्यस्थल पर कार्यस्थल पुस्तिका की व्यवस्था सुनिश्चित कराना एवं आदिनांक करना।	100%	15
7.	मजदूरी की मांग एवं वार्षिक श्रम बजट को ध्यान में रखते हुए अग्रिम रूप से पर्याप्त कार्य स्वीकृत कराना।	100%	5

8.	<p>नरेगा कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण व वाल पेण्टिंग</p> <p>(xiii) सामाजिक अंकेक्षण हेतु सामाजिक अंकेक्षण मैनुअल अनुसार रिकार्ड संधारित करना।</p> <p>(xiv) मस्टररोल व अन्य रिकॉर्ड दिशा निर्देशानुसार प्रदर्शित करना।</p> <p>(xv) सामग्री पर कार्यवार व्यय एवं जॉबकार्ड वार श्रम पर व्यय की वाल पेण्टिंग सुनिश्चित करना।</p> <p>(xvi) मजदूरों को उनके अधिकारों की जानकारी देना।</p> <p>(xvii) रोजगार दिवस आयोजित कर मस्टररोल सत्यापन करना।</p> <p>(xviii) ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।</p> <p>(xix) सामाजिक अंकेक्षण हेतु 'सामाजिक अंकेक्षण दल' के सदस्यों एवं फेसिलिटेटर्स की क्षमता सवर्द्धन व प्रशिक्षण एवं उन्हें को Pro actively रिकॉर्ड उपलब्ध कराना व लोगों को ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने हेतु प्रेरित करना।</p>	100%	15
9.	यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल बीपीएल परिवारों की संख्या के समकक्ष परिवार 100 दिन का रोजगार पूरा करें।	100%	15
10.	यह प्रयास करना कि कार्य पर आए परिवारों में से कम से कम 75 प्रतिशत 100 दिन का रोजगार पूरा करें।	100%	10
Total			100

- नोट:
1. न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर ही अनुबंध का प्रत्येक वर्ष नवीनकरण किया जावे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन के पश्चात यदि अंक 60 प्रतिशत से कम प्राप्त होते हैं तो कार्य सुधारने हेतु लिखित नोटिस दिया जावे।
 2. एक पंचायत में यदि 20 से कम मजदूर कार्यरत हैं तो ग्राम रोजगार सहायक की सेवाएं एक माह का नोटिस देकर समाप्त कर दी जाएगी।

ग्राम रोजगार सहायक द्वारा नरेगा कार्यो के निरीक्षण हेतु प्रपत्र

ग्राम पंचायत..... पंचायत समिति

कार्य का नाम..... ग्राम..... कार्यकारी संस्था.....

कार्य का यूनिक कोड नं.

निरीक्षण की दिनांक व समय

कुल मस्टररोल की संख्या....., क्रमांक से तक

मस्टररोल में उपस्थित बताये गये श्रमिकों की संख्या

वास्तव में उपस्थित पाये गये श्रमिकों की संख्या.....

अन्तर हो तो कारण व विवरण

.....

क्या कार्य समूहवार आवंटित किया गया है ? हाँ/ नहीं

क्या कार्य समूहवार किया जा रहा है ? हाँ/ नहीं

क्या कार्य समूहवार नाप कर मस्टररोल में मेट द्वारा रोजाना भरा जा रहा है ? हाँ/ नहीं

क्या कार्यस्थल पर समूहवार दैनिक मजदूरी कार्ड संधारित कर श्रमिकों को रोज की मजदूरी से मेट द्वारा अवगत कराया जा रहा है ? हाँ/ नहीं

क्या जो समूह समय से पूर्व कार्य पूरा कर लेता है तो उसका समय मस्टररोल में दर्ज कर बाद श्रमिक प्रतिनिधि हस्ताक्षर उसे कार्यस्थल से जाने दिया जाता है ? हाँ/ नहीं

कार्य निष्पादन में पाई गई कमियां

(छाया/पानी/मेडिकल किट/कार्यस्थल पुस्तिका/टास्क/डिस्पले बोर्डव अन्य)

सुझाव यदि हो तो.....

.....

हस्ताक्षर मय दिनांक
ग्राम रोजगार सहायक का नाम

क्रमांक.....

दिनांक

प्रतिलिपि कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति को सूचनार्थ ।

हस्ताक्षर ग्राम रोजगार सहायक

KEY RESULT AREA FOR MANAGER IEC, NREGA
(For the purpose of Annual Performance Appraisal)

S.No.	Key Result Area	Key deliverables	Score
1	Prepare Strategy and Annual Action Plan for IEC activities	Plan to be prepared and got approved from the Zila Parishad alongwith Annual Action Plan of works	15
2	(i) Implementation of IEC Action Plan (ii) Produce quality audio visual & publications for IEC & their dissemination (iii) Intensive involvement of Kala Jathas	100%	25
3	To prepare success stories of at least one G.P. in each Panchayat Samiti	In each quarter	20
4	(i) Hold Media Conferences, arrange visits of media to worksites (ii) Press releases on achievements, success stories & events (iii) Radio & Television talk on NREGA (by himself or through DPC)/CEO/PO's etc.)	Once in every quarter At least one in every week Once in a month	15
5	(i) Ensure monthly celebration of NREGA day in each Panchayat & participate in it at least in 10 Panchayats (ii) Educate labourers about their rights under NREGA (iii) Through subtle IEC messages motivate Gram Sabhas to participate in Social Audit	Monthly At least 95% labourers become fully aware of their rights and entitlement	15
6	Effective networking with NGO's, Media, Nehru Yuva Kendras, Youth Clubs, Schools & publicity organisations for effective dissemination of information on NREGA	Maximum efforts	5
7	Impact evaluation study through independent agency	One study in a year	5
Total			100

Note : At least 70% marks would need to be scored to get annual extension.